

समाहरणालय, चतरा ।

CS/RS
Chatter

(राजस्व शाखा)

पत्रांक— 2550 / रा0

दिनांक— 16.09.2021

प्रेषक,

उपायुक्त,
चतरा ।

सेवा में,

सहायक प्रबंधक,

नार्थ करणपुरा, ट्रान्सको लिमिटेड, राँची ।

विषय:—

400 KV D/C नॉर्थ करणपुरा से गया ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु
अपयोजित भूमि का नष्ट प्लॉटों से संबंधित प्रमाण-पत्र (FORM-I) का
प्रेषण ।

प्रसंग:—

आपका पत्रांक—NKTL (S)/2020-21-F-129, दिनांक—03.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में 400 KV D/C नॉर्थ करणपुरा से गया
ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु अंचल चतरा, सिमरिया एवं हंटरगंज में अपयोजित भूमि का नष्ट
प्लॉटों से संबंधित प्रमाण-पत्र (FORM-I) इस पत्र के साथ सलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु
भेजा जाता है ।

अनुलग्नक—यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

उपायुक्त,

चतरा ।

प्रपत्र-I

प्रमाणित किया जाता है कि चतरा जिलान्तर्गत 400 KV D/C नार्थ करणपुरा से गया ट्रान्समिशन लाईन निर्माण में निम्नांकित सन्निहित भूमि का कैडेस्ट्रल सर्वे (CS)/ 25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (RS) का खतियान अंचल कार्यालय, सिमरिया, चतरा, हटरगंज एवं जिला अभिलेखागार, चतरा आदि में उपलब्ध नहीं हो पाया अथवा जीर्ण -शीर्ण /कटे-फटे अवस्था में हैं तथा अपठनीय हैं।

विदित है कि चतरा जिला में रिवीजनल सर्वे (RS) का प्रकाशन नहीं हुआ है। अतः स्थल जाँच के आधार पर वर्तमान में भूमि की प्रकृति निम्नवत पाई गई है—

क्र० स०	अंचल	मौजा/गाँव का नाम	थाना/थाना नं०	प्लॉट सं०	रकबा	भूमि की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7
1	सिमरिया	केन्दु	सिमरिया / 110	31	0.104	धान खेत
2		बगरा	सिमरिया / 112	728	0.014	धान खेत
3				1065	0.0949	धान खेत
4	चतरा	गेरी	चतरा/209	453	0.199	टांड
5				460	0.072	टांड
6				856	0.292	टांड
7	हटरगंज	गायघाट	हन्टरगंज/109	128	0.022	धान खेत
8				129	0.03	धान खेत
9				130	0.027	टांड
10				132	0.025	धान खेत
11				133	0.011	धान खेत
कुल—					0.8909	

अतः स्पष्ट है कि स्थल जाँच के आधार पर उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वन भूमि की श्रेणी में नहीं आता है।

उपरोक्त संबंध में यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में यदि 25.10.1980 के पूर्व के सर्वे अभिलेखों के आधार पर उक्त भूमि की प्रकृति वन/जंगल आदि (deemed forest) के रूप में पायी जाती है, तो इसे तत्काल सभी संबंधित कार्यालयों तथा प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित किया जाएगा एवं इसके अनुसार संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत परियोजना में सम्मिलित उक्त चिन्हित वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु बाध्य होंगे।


 16/5/21
 उपायुक्त
 चतरा।